न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 75/2021 बउनवानी प्रेमचन्द जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता/समाधान अनुभाग
पुत्र स्व0श्री श्रीमाली लाल जैन, निवासी,24 पंचमुखी नगर आलनपुर,स0मा0 /लोकसूचना अधि. अति.जिला. कलेक्टर

GCMS No-2021/188

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 07.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्र.अ. सतर्कता अनुभाग को एवं इसके पश्चात प्र.अ. समाधान अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. माननीय प्रभारी मंत्री महो., राजस्थान सरकार जयपुर कैम्प स0मा0 की जनसुनवायी दिनांक 1.4.2021 मे प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर स0मा0 की सेवामें प्रस्तुत की गयी प्रा0पत्र दिनांक 1.4.2021 परिवाद की पंजीयन संख्या 39 दिनांक 1.4.2021 के संदर्भ में जिला सतर्कता सवाईमाधोपुर मे दर्ज किये गये प्रकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा जिला सतर्कता समिति की जन सुनवायी दिनांक 2.7.2021 मे प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय स0मा0 की सेवामें प्रस्तुत की गयी प्रा0पत्र दिनांक 7.7.2021 की स्पष्ट प्रमाणित प्रति दी जावे।
2. प्रार्थी द्वारा जिला सतर्कता समिति सवाईमाधोपुर की जनसुनवायी दिनांक 2.7.2021 मे प्रस्तुत की गयी प्रा0पत्र दिनांक 2.7.2021 के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात की स्पष्ट प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर /प्र.अ. समाधान/सतर्कता अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0/प्र.अ.समाधान/सतर्कता अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.2(101)सूकाअ/2021/1578 दिनांक 17.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.7.2021 में चाही गयी सूचना का संबंध प्र.अ. सतर्कता अनुभाग से न होकर प्र.अ. समाधान अनुभाग से है प्र.अ. समाधान की ओर से जवाब प्राप्त कर लिया गया है जिसके अनुसार अपीलान्ट का मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2021 प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ के पत्रांक 474 दिनांक 8.7.2021 से नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को भिजवाया जा चुका है उक्त प्रार्थना पत्र पर नगर विकास न्यास द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही होने के कारण प्रा0 पत्र पर कार्यवाही के संबंध मे सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इस कार्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही (पत्रांक 474)की प्रति अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्र.अ. समाधान प्रकोष्ठ द्वारा नगर [illegible] को लिखे गये पत्रांक 474 की प्रति निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। चूंकि [illegible] नगर विकास न्यास को भिजवाया जा चुका है इसलिए उक्त प्रा0प[illegible] गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति नगर विकास न्यास से प्राप्त करे। इस प्रकार प्र.अ. समाधान अनुभाग से संबंधित सूच[illegible]लान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्र[illegible]फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested